G20

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 2848 / 12-1 मसूरी, दिनांक- 23 / 01 / 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
थत्यूड़।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत जयद्वार–तियाड़ा–फलपट्टी मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 12.00 कि0मी0) के निर्माण हेतु 9.121 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/40511/2019)

सन्दर्भ :– आपके कार्यालय का पत्रांक–1998 / 21सी0, दिनांक–06.12.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसका परीक्षण किये जाने पर निम्नांकित कमियां पायी गयी है :–

1. ऑनलाईन पोर्टल के पैरा B में आपके द्वारा उल्लेख किया गया है कि विषयांकित परियोजना हेतु पूर्व में प्रस्ताव संख्या– **FP/UK/ROAD/37504/2018** भारत सरकार की पुर्वानुमति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसके Status में Returned अंकित किया गया है। परीक्षण किये जाने पर पाया गया है कि यह प्रस्ताव *रायपुर कुमाल्डा कददुखाल से सतेंगल* है, जिसमें भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी की गयी है। यह प्रस्ताव विषयांकित परियोजना से किस प्रकार सम्बन्धित है, स्पष्ट आख्या उपलबध कराने का कष्ट करें।
2. प्रस्ताव में अपूर्ण मक डम्पिंग प्लान संलग्न किया गया है। निम्नांकित बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए मक डम्पिंग प्लान तैयार कर संलग्न करने का कष्ट करें :–
   i. Calculation of muck to be generated. Swell factor has to be applied.
   ii. Quantity of muck to be utilized in the project activities.
   iii. Balance quantity of muck, which requires disposal/management plan.
   iv. Carriage of muck from the muck generation site to the dumping site.
   v. Development of dumping site- construction of retaining walls and other structures as per requirement of the site. The objective is to completely stop rolling down of the muck.
   vi. Rehabilitation of dumping site like leveling, planting of grass, shrubs and tree species.
3. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र का डिजीटल मैप एवं जियों रेफरेन्स्ड मैप संलग्न नहीं किया गया है।
4. प्रस्ताव में संलग्न परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2011 की है, इस सम्बन्ध में कृपया स्पष्ट करें कि क्या यह स्वीकृति वर्तमान में प्रभावी है एवं तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
5. प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि में मार्ग का RoW 9.00 मीटर की चौड़ाई में प्रस्तावित किया गया है, क्या यह 7.00 मीटर में किया जा सकता है, स्पष्ट आख्या उपलबध करायें।
6. उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित स्थल की वन्यजीव अभ्यारण से हवाई दूरी 6.00 कि0मी0 दर्शायी गयी है, अतः प्रस्ताव में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनापत्ति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
7. प्रस्ताव में लाभान्वित होने वाले गांव की संख्या 07 है। अतः ऑनलाईन पोर्टल पर Village wise breakup में तद्नुसार संसोधन करना सुनिश्चित करें।

8. ऑनलाईन पोर्टल के पैरा D में अपलोड किये गये Justification में परियोजना से होने वाले लाभों का उल्लेख किया गया है, जबकि justification for locating the Project in forest land के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं उल्लेख की गयी है।

9. कृपया स्पष्ट करें कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत परियोजना से प्रभावित/लाभान्वित सम्बन्धित सभी ग्राम पंचायतों की आम सभी की अनापत्ति प्राप्त की गयी है।

10. ऑनलाईन पोर्टल के पैरा L Details of land identified for Compensatory Afforestation में कोई सूचना नहीं अंकित की गयी है।

उपरोक्त बिन्दुओं का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

O/C